अनुलग्नक

vuqyXud I

(iSjk 1-3 में उल्लिखित)

,uch,l uhfr ds vUrxZr lfEefyr moZjdksa dh lwph

Ø-la[;k	moZjd dk uke
1.	डीएपी (18–46–0–0)
2.	डीएपी लाईट (16–44–0–0) (2010–11 में सम्मिलित)
3.	एमएपी (11–52–00)
4.	टीएसपी (0–46–0–0)
5.	एमओपी (0–0–60)
6.	एसएसपी (0–16–0–11) (मई 2010 में सम्मिलित)
,uihds lewg	
7.	16-20-0-13
8.	20-20-0-13
9.	20-20-0-0
10.	23-23-0-0
11.	24-24-0-0
12.	28-28-0-0
13.	10-26-26-0
14.	12-32-16-0
15.	14-28-14-0
16.	14-35-14-0
17.	15-15-15-0
18.	15-15-15-09 (2010–11 में सम्मिलित)
19.	16-16-16-0
20.	17-17-17-0
21.	19-19-19-0
22.	अमोनियम सल्फेट
23.	डीएपी लाईट ग्रेड II (14–46–0–0) (2011–12 में सम्मिलित)
24.	एमएपी लाईट (11–44–0–0) (2011–12 में सम्मिलित)
25.	13–33–0–6

vuyXud II

(पैरा 1.4 में उल्लिखित)

fofHkUu ih,.Md moZjdksa ds fy, ,uch,l jkt lgk;rk ¼₹ izfr ,eVh½ dh x.kuk dk mnkgj.k

ik"kd rRo dk vuqikr ¼,u%ih%d%,l%½	1 Vu ¼1000 fd-xzk-½ esa ik"kd rRo dh ek=k	izfr Vu jkt lgk;rk ¼₹ esa½	izfr Vu dqy jkt lgk;rk ¼₹ esa½
(1)	(2)	(3) (कॉलम 2 X प्रति कि.ग्राम. एनबीएस दर जैसा कि सम्बद्ध पोषक तत्व के लिए डीओएफ[1] ने अधिसूचित किया)	(4)
ekeyk ,% Mkb&vekfu;e QkLQsV ¼Mh,ih½			
18:46:0:0	180 किलो (एन) 460 किलो (पी)	180 X 27.153 (एन) = 4887.54 460 X 32.338 (पी) = 14875.48	19763
ekeyk ch% ekuks& vekfu;e QkLQsV ¼,e,ih½			
11:52:0:0	110 किलो (एन) 520 किलो (पी)	110 X 27.153 (एन) = 2986.83 520 X 32.338 (पी) = 16815.76	19803
ekeyk lh% fV`iy lqij QkLQsV ¼Vh,lih½			
0:46:0:0	460 किलो (पी)	460 X 32.338 = 14875.48	14875

[1] उदाहरण हेतु वर्ष 2011–12 के लिए एनबीएस दरों का उपयोग किया गया।

vuqyXud&III

¼ijk 2-5 esa mfYyf[kr½

पीएण्डके उर्वरकों के लिए 81वें प्रतिवेदन (अप्रैल 2013 में संसद में प्रस्तुत) में लोक लेखा समिति की अनुशंसा और उर्वरक विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही

Øe la[;k	Ykkd ys[kk lfefr dh vuq'kalk	moZjd foHkkx }kjk vuqorhZ dk;Zokgh ¼tqykbZ uoEcj 2014 esa lfpr fd;k x;k½
1	समिति विरोध करती है कि उर्वरक की आवश्यकता का आकलन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार न करके नीरस ढंग से इसकी आवश्यकता को पिछले सत्र/वर्ष की खपत से सामान्यतः 5 से 10 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया। यद्यपि मुख्य उर्वरकों के वास्तविक खपत के आँकड़े प्रक्षेपित आवश्यकता से बहुत कम थे फिर भी प्रायः सभी मामलों में उपलब्धता आकलन से ज्यादा थी। समिति ने इच्छा जताई कि चूँकि क्षेत्रीय बैठकों में महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे उपज का गहन अध्ययन और खपत की पद्धति, उपज एवं सिंचित क्षेत्र, प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत, राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता आदि पर चर्चा होती है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्षेत्रीय बैठकों के विस्तृत कार्यवृत्त को सावधानी पूर्वक बनाया जाए ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रख कर और सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। अतः समिति यह आग्रह करती है कि समग्र आकलन प्रक्रिया की गहन रूप से समीक्षा की जाए ताकि क्षेत्रों से अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित वास्तविक एवं सटीक सांख्यिकीय आँकडों को प्राप्त किया जाए और अधिक लागत प्रभावी भविष्यकालीन प्रौद्योगिकी तकनीकों का सहारा लिया जाए, जैसे दूर संवेदी और भू–खण्डों का उपग्रहीय चित्रक आकलन जिससे की उर्वरकों की आवश्यकता के परिचालन तथा वितरण को सावधानी और प्रभावी विधि से किया जा सके।	• उर्वरकों की आवश्यकता के आकलन को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए इस मंत्रालय ने नए प्रोफार्मा को प्रस्तुत किया और पूर्व के कुछ प्रोफार्मा (उर्वरक प्रयोग के लिए आकलन की आवश्यकता) को संशोधित किया। • राज्यों से अनुरोध किया गया कि सकल उपज क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, प्रखण्ड स्तर पर फसल क्षेत्र और पोषक तत्वों की कमी से संबंधित सूचना व जिला स्तर पर एनपीके पोषक तत्वों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाओं को नए प्रोफार्मा में संकलित करें। • सांख्यिकीय आँकडे के संकलन से संबंधित मुद्दों को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उठाया गया। • इस मंत्रालय ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल को 19 मुख्य राज्यों (171 जिलों) में उर्वरकों के प्रयोग के लिए स्थान विशेष आधारित अनुशंसा बनाने हेतु भू–संदर्भित मृदा उपज मानचित्र तैयार करने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी। अभी तक सभी 171 जिलों में मृदा मानचित्र तैयार किए जा चुके है। डिजिटाइजड मानचित्रों की तैयारी से संबंधित घटक को बारहवीं योजना अवधि में 371 जिलों में जारी रखने का प्रस्ताव है। • कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) ने 12 सितंबर से क्षेत्रीय बैठकों/सम्मेलनों से संबंधित विस्तृत कार्यवृत के ब्यौरों को अभिलिखित करना आरम्भ कर दिया है।
2	समिति गंभीरता से उल्लेख करती है कि उर्वरक राजसहायता के संदर्भ में किया गया भुगतान वर्ष 2003–04 में ₹11,835 करोड़ से आठ गुना बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹96,603 करोड़ हो गया जो कि वर्ष 2009–10 में घटने से पहले ₹61,636 करोड़ था। समिति यह भी उल्लेख करती है कि प्रमुख घटक नियंत्रणमुक्त उर्वरकों को उच्च राजसहायता भुगतान	पीएण्डके उर्वरकों और स्वदेशी उत्पादन की कुल आवश्यकता के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए उर्वरक विभाग उर्वरक कंपनियों को हितकारी मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत कच्चे माल/तैयार उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए संयुक्त उपक्रम परियोजना स्थापित करने, विदेशों में उर्वरक संपत्ति को अर्जित करने और

	किया गया जो कि वर्ष 2003–04 में ₹3326 करोड़ से 20 गुना बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹65,555 करोड़ हो गया। विभाग के अनुसार, पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयात पर लागत, भारतीय मुद्रा में उतार–चढ़ाव और बढ़ी हुई खपत जिससे उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत में वृद्धि जारी रही क्योंकि फरवरी, 2002 से मार्च 2010 तक एमआरपी में कोई बदलाव नहीं आने के कारण राजसहायता राशि में वृद्धि हुई। समिति यह देखकर भी चिंतित थी कि यद्यपि फॉस्फेट युक्त उर्वरकों की क्षमता 1998–99 से 2008–09 तक दोगुनी हो गई परंतु वास्तविक उत्पादन केवल 30 प्रतिशत ही बढ़ा। राजसहायता बोझ में कई गुना वृद्धि हुई क्योंकि इस दौरान डीएपी/एमएपी/एनपीके मिश्रण की खपत में हुई वृद्धि को अत्यधिक उच्च कीमत के आयात से पूरा किया गया। समिति पाती है कि उत्पादन में 22 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि दर्ज़ की गई जो कि उसी अवधि में 38,67,000 एमटी से घटकर 29,93,000 एमटी हो गया जबकि डीएपी इकाइयों की स्थापित क्षमता वर्ष 1998–99 में 28,70,000 एमटी से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 72,99,000 एमटी हो गई (जोकि 154 प्रतिशत है)। रोचक तौर पर, यद्यपि उत्तरकालीन वर्षों के दौरान डीएपी के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसने वर्ष 2009–10 और 2010–11 में उपयोग क्षमता का 84 प्रतिशत और वर्ष 2011–12 में 80.8 प्रतिशत को प्राप्त किया फिर भी फॉस्फेट युक्त उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के लिए तैयार फॉस्फेट युक्त उर्वरकों या फॉस्फेट युक्त कच्चा माल/मध्यस्थ के लिए आयात पर निर्भरता 90 प्रतिशत रही क्योंकि देश में रॉक फॉस्फेट की निधियाँ अल्पतम और खराब दर्जे की हैं। इससे भी दुखद है कि, कृषि उपयोग के लिए पोटाशयुक्त उर्वरकों के आयात पर निर्भरता 100 प्रतिशत है। उर्वरक विभाग तथा–कथित रॉक फॉस्फेट और पोटाश के नवीन भण्डारों का पता लगाने के लिए अन्वेषण/सर्वे को बढ़ावा दे रहा है। फिर भी समिति चाहती है कि पीएण्डके उर्वरकों के कच्चे माल के अन्वेषण के अलावा विभाग को उर्वरक अधिकता वाले देशों विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जो आयात पर निर्भर हैं, के साथ सामरिक निवेशों और गठबंधनों द्वारा पर्याप्त कदम उठाने चाहिए जिससे न केवल तैयार उर्वरकों बल्कि नये कच्चे माल की लंबे समय तक आपूर्ति की जा सके।	लंबे समय के समझौतों में सम्मिलित होने के लिए बढ़ावा दे रहा है। इस संदर्भ में, भारतीय कंपनियों ने ओमान, सेनेगल, मौरक्को, ट्यूनिशिया, जोर्डन और नाइजीरिया में संयुक्त उपक्रम पहले से ही स्थापित कर लिये हैं।उर्वरकों के क्षेत्र में सहयोग को घाना, टोगो, बेलारूस, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ईरान, ईराक, जोर्डन, अल्जीरिया आदि दशों के साथ खोजा जा रहा है। ईरान, रूस,टोगो में संयुक्त उपक्रम परियोजना और कनाडा से पोटाश का दीर्घावधि क्रय करार विभाग में विचाराधीन है।
3	पोषक तत्व पर आधारित राजसहायता नीति के 01.04.2010 से प्रारंभ होने के साथ पीएण्डके उर्वरकों की राजसहायता राशि में कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज़ नहीं की गई है और वास्तव में पीएण्डके क्षेत्र में पूर्ण राजसहायता व्यय में गिरावट देखी गई जो 2011–12 में ₹36,107 करोड़ और 2012–13 में ₹28,576.12 करोड़ थी। राजसहायता प्राप्त एक नियंत्रणमुक्त वस्तु (उर्वरक) के तर्काधार पर, समिति यह बताती है कि 25.08.1992 से पीएण्डके उर्वरक, के नियंत्रण मुक्त होने से इन उर्वरकों की खपत पर बुरा असर पड़ा क्योंकि राजसहायता हटा ली गई जिससे छोटे और सीमान्त किसानों पर असर हुआ और अन्ततः एनपीके उर्वरकों के इस्तेमाल में असंतुलन पैदा हो गया। समिति पाती है कि जबकि उर्वरक की खपत 2003–04 से 2008–09 में 46 प्रतिशत बढ़ी, कृषि उत्पादन (अनाज, तिलहन और गन्ना) के प्रमुख घटकों में इस दौरान सिर्फ 16 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई जोकि	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को विधिवत महत्व दिया गया, रसायनिक उर्वरकों और जैविक खाद के संयोजित प्रयोग को समर्थन दिया गया ताकि मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत इस योजना को एक उप–मिशन के रूप में 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रणालियों के पैकेज के जरिये किसानों को बेहतर कृषि संबंधी पद्धतियाँ प्रदान की गई। एनबीएस नीति के कार्यान्वयन में बेहतर नतीजों के लिए विभाग ने मैसर्स अर्नेस्ट

	कमजोर सामयिक सह–संबंध दर्शाती है। तथ्यों से सचेत होते हुए रसायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग और जैविक उर्वरकों की उपेक्षा से कम पैदावार हुई जिससे कृषि उत्पादन में निष्क्रियता आई; उर्वरक इस्तेमाल की दक्षता में कमी से किसानों को कम लाभ हुआ जिसने मृदा में न्यूनतम पोषक तत्वों को और भी कम कर दिया। जैसाकि विचार किया गया है, सीमिति विभाग पर रसायनिक उर्वरक और जैविक खाद के संयोजित प्रयोग को सम्मिलित करते हुए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को उचित महत्व देने पर बल देती है ताकि उच्च उर्वरक प्रतिक्रिया के लिए मिट्टी में जैविक कार्बन को बनाए रखा जा सके। आगे, फसल की पैदावार पर असर डाले बिना उर्वरक के प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने में निःसंदेह उर्वरक की बड़ी मात्रा को बचाने की उच्च क्षमता है, यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि संपोषणीय कृषि के लिए बेहतर भूमि संबंधी पद्धतियों को अपनाया जाए और बेहतर गुणों वाले उर्वरकों का उपयोग किया जाए जिसमें जैविक उर्वरकों को सम्मिलित किया गया हो। समिति विभाग से चाहती है कि देश की संतुलित उर्वरण आवश्यकता का समाधान किया जाए ताकि विभाग उपयुक्त संयोजनों और आवश्यक आगतों के सहित देश के संतुलित उर्वरण की आवश्यकता को एक सक्रिय संकल्पना के रूप में ले ताकि लक्षित समय सीमा के भीतर एनबीएस नीति के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।	एंड यंग (ईवाई) जोकि एक परामर्श कंपनी है, को एनबीएस नीति के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक कार्य सौंपा है। इस अध्ययन के मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र निम्नलिखित हैं : I. एनबीएस नीति के मूल्यों और उर्वरकों की भारत में उपलब्धता। II. एनबीएस नीति का मिट्टी के नियंत्रित उर्वरण और इसका कृषि उत्पादकता पर प्रभाव। III. एमआरपी के 'औचित्य' का पता लगाने के लिए यंत्रावली। IV. एनबीएस नीति के अधीन अतिरिक्त तंत्र की पहचान करना ताकि उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। V. कीमतों की निगरानी और नियमन VI. कीमतों की खोज और कीमतों का निर्धारण अंतिम स्टडी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जोकि अभी प्रतीक्षित है और हिस्सेदार विभागों/कंपनियों से विचार करने के बाद, विभाग उपयुक्त उपाय करेगा जिससे कि एनबीएस नीति के भावी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
4	समिति यह सूचित करती है कि कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री हेतु राज्य सरकारों को प्रोफार्मा 'बी' का प्रमाणन करने की आवश्यकता पड़ती है जोकि उर्वरकों के अंत उपयोग पर एकमात्र प्रमुख नियंत्रण है लेकिन जून 2007 से इस तरीके के गठजोड़ को हटाने से कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए सक्षम प्राधिकारों द्वारा प्रमाणों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन अब विद्यमान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बिना मिलान की हुई खरीद फरोख्त के आँकड़ों में काफी बढ़ोत्तरी पायी गई है जोकि वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक केवल ₹111 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007–08 से 2009–10 ₹50,587 करोड़ रही। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 14.12.2011 के अंतर्गत 2003–04 की अवधि के दौरान ₹ 2447.08 करोड़ की बकाया राशि थी और विभाग द्वारा शुरू किये गए एक अभियान के बाद नवीनतम लंबित आँकड़ा ₹1947 करोड़ था जोकि उर्वरक विभाग के सचिव के साक्ष्य में जमा किये गये लेखापरीक्षा प्राप्तियों पर आधारित था। प्रोफार्मा 'बी' में प्रमाणन की प्राप्ति होने तक राजसहायता के 10–15 प्रतिशत को जोड़ने की पूर्व प्रणाली के पुनःआरंभ करने की लेखापरीक्षा की अनुशंसा पर डीओएफ ने तर्क दिया कि प्रोफार्मा 'बी' कम प्रासंगिक है क्योंकि विभाग परिवर्तनशील उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के अनुकूल बन रहा है जोकि प्रथम चरण में प्रतिदिन के आधार पर विक्रेता स्तर पर उर्वरक प्राप्ति और विक्रय को दर्ज़ करेगा। उर्वरक विभाग के अनुसार, इस प्रकार की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध होगी और एक बार 2012–13 के वित्त वर्ष के अंतर्गत प्रणाली के स्थिर होने पर परिवर्तनशील (मोबाइल) एफएमएस के आधार पर	उर्वरक विभाग ने एक मोबाइल एफएमएस (एम–एफएमएस) प्रणाली आंरभ की है जो पहले से ही विद्यमान एफएमएस का जिला स्तर से विक्रेता स्तर तक का विस्तार करना है। एम–एफएमएस का पहला चरण उर्वरकों की प्राप्तियों को विक्रेता स्तर तक अधिग्रहण करता है। यह नवबंर 2012 से संचालित है और अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। एम–एफएमएस का दूसरा चरण खुदरा वितरकों (अर्थात अंतिम बिन्दु बिक्री) द्वारा की गई बिक्री और खरीद के विवरण का अधिग्रहण करता है। फरवरी 2013 के दौरान दूसरे चरण के उपयोग की अजमेर जिले में छः खुदरा वितरकों द्वारा सफलतापूर्वक जाँच की गई है तथा आवेदन को कंपनियों, खुदरा वितरकों और यूज़र एक्सैपटैन्स टैस्ट में भागीदारों द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि के आधार पर संशोधित किया गया है। दूसरे चरण के पायलेट को 15 अगस्त 2013 के आरंभ में छः पायलेट जिलों में शुरू किया गया है। एक बार दूसरे चरण के स्थापित हो जाने पर, एमएफएमएस न केवल खुदरा वितरक स्तर तक उर्वरकों की उपलब्धता को उपलब्ध करेगा बल्कि संबंधित व्यक्ति को हर श्रेणी के उर्वरक की बिक्री का भी विवरण रखेगा। यह उर्वरक विभाग को खुदरा स्तर तक स्टॉक/बिक्री के सत्यापन के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली देगा। आगे, संबंधित राज्यों के सभी कृषि निदेशकों से पहले से ही निवेदन किया गया है कि लंबित प्रोफार्मा 'बी' को शीघ्र जारी किया जाए।

	राजसहायता का भुगतान किया जाएगा जो न केवल विक्रय अंकों के पुनर्मेल के लिए आवश्यकता का निराकरण करेगी बल्कि काला बाज़ारी और जमाखोरी के विरूद्ध एक प्रभावशाली निवारक के रूप में भी कार्य करेगी। विभाग की स्वयं स्वीकृति को विचार में रखते हुए कि ज़िला स्तर से आगे विक्रय व स्टॉक के सत्यापन का कोई विद्यमान तंत्र नहीं है तथा द्वितीयक विक्रय व खपत प्रतिमानों की निगरानी राज्य कृषि विभाग द्वारा की जा रही है इस पर समिति का वैचारिक मत था कि डीओएफ की भूमिका केवल गैर–कृषि उपयोग के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरक के विपथन के विभिन्न प्रतिवेदित उदाहरणों के प्रकाश में राज्य सरकार को सुग्राही बनाने तक ही सीमित न हो। आगे, समस्या की गंभीरता और कुरीतियों के कारण राजसहायता भार पर अंतर्निहित परिणामों का ध्यान रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि एक सख्त सत्यापन व्यवस्था के सहित वास्तविक समय सूचना/आँकड़े पर आधारित निवारक दंडात्मक/वित्तीय जुर्मानों को कठोरता से लागू करने को रखा जाए। जैसे कि सचिव द्वारा आश्वस्त किया गया है कि डीओएफ इस प्रमाण के साथ कि विभाग किसान स्तर तक कि उर्वरक आवाजाही का पता लगाने के लिए एक प्रायोगिक योजना को विकसित कर रहा है, समिति चाहती है कि डीओएफ तुरंत स्टॉक/विक्रय के सत्यापन के लिए विश्वनीय व सरल प्रक्रिया के सहित एक अधिक सख्त निगरानी तंत्र और निरीक्षण व्यवस्था को लाए ताकि राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के चोरी होने के खतरे, विपथन और रिसावों को रोका जा सके।	
5	समिति गहरी चिंता के सहित कई कमियों और अपर्याप्तताओं को देखती है जो उर्वरकों की गुणवत्ता जांच को संक्रमित करते है। ऐसे चिंता क्षेत्र में इसके अलावा शामिल हैं सभी विक्रय निकासों से जांचे गए नमूनों के लिए आवश्यक क्षमता की तुलना में वर्तमान गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाओं की अत्यंत अपूर्ण क्षमता; प्रयोगशालाओं में अपूर्ण भौतिक एवं मानवीय आधारभूत संरचना; जाचें गए नमूनों के वास्तविक संख्या में अहम कमियां आदि। समिति को जो सबसे ज्यादा चिंतित करता है वो है उर्वरक गुणवत्ता क्षमता के नतीजों का बताई गई समय सीमा में विश्लेषण और संचारण का पालन न होना। यद्यपि विभाग द्वारा लिए गए कई उपायों के साथ–साथ पहले से ही विद्यमान 39 एफक्यूसीएल का सशक्तिकरण, 15 नई एफक्यूसीएल की स्वीकृति, मृदा जाँच प्रयोगशाओं की संख्या को बढ़ाकर 1049 करना जिनकी 31.03.2012 को विश्लेषण क्षमता 10.7 मिलियन हो, 180 स्थिर और 145 चल प्रयोगशालाएं जोड़ने की योजना आदि। समिति अभी भी ठीक तरीके से उर्वरकों की गई जाँच और इस्तेमाल में लाए जाने वाले अवमानक उर्वरकों के कारण होने वाले अवरोधों से चिंतित है। समस्या एफसीओ प्रावधानों के सहित संयोजित है जिसमें उर्वरकों की क्षमता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकारों पर है यद्यपि केन्द्र सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय मदद प्रदान करती है। समिति दोनों विभागों (कृषि और उर्वरक) पर दबाव डालती है कि वो उर्वरकों की जाँच क्षमता में सम्मिलित अत्यावश्यकताओं पर गंभीरता से विचार करे और मृदा	बिन्दु 5 एवं 6 के लियेः समिति राज्यों में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और एफसीओ के कार्यान्वयन के क्रियान्वयन तंत्र में सुधार लाने पर बल देती है। यह मंत्रालय किसानों को बेहतर दर्जे के उर्वरकों को देने को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर राज्य सरकारों के साथ उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने और राज्यों में एफसीओ के प्रवर्तन तंत्र को लागू करने की आवश्यकता पर बल देता है। हाल ही में, इस मंत्रालय ने 31.07.2013 के पत्र द्वारा सभी राज्यों को विभिन्न बिन्दुओं पर सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

	जाँच प्रयोगशालाओं और क्षमता जाँच की भौतिक और मानवीय आधारभूत संरचना की बढ़ोत्तेरी को सुदृढ़ करने में लगातार प्रगतिशील रहे। समिति को विश्वास है कि राज्य सरकारों के साथ क्रमबद्धता से कार्य करके और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके विभाग उर्वरकों की जाँच क्षमता में अवश्य ही स्पष्ट प्रभावशाली सुधार ला पाएगा।	
6	उर्वरक गुणवत्ता जाँच के नतीजों को बताने में अनुबंधित 52 दिन की समय सीमा में देरी के प्रतिकूल निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए समिति विभागों को राज्य सरकारों को एफसीओ के खण्ड 30 जोकि गुणवत्ता जाँच नतीजों के अनुबंधित समय सीमा में विश्लेषण और अनुबंधित करने के सख्त अनुपालन को निर्देशित करता है, के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही करने पर बल देती है। समिति आगे अनुसंशित करती है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय प्रावधन जो उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही और दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा निर्धारित करने के अतिरिक्त उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्राधिकृत प्रमाणपत्र के विलोपन और अन्य प्रशासनिक कार्यवाही, की जा सकती है ताकि अवमानक उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति रोकी जा सके।	
7	किसानों को अवमानक उर्वरकों की आपूर्ति की शिकायतों के बारे में उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए समिति यह अनुशंसा करती है कि किसानों की अवमानक उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के तंत्र को सरल बनाया जाए और उन्हें (किसानों) अपनी शिकायतें जिला मजिस्ट्रेट/ज़िला कृषि अधिकारी के समक्ष दर्ज कराने की इजाज़त दें ताकि शीघ्र और उचित कार्यवाही हो सके। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब कभी आवश्यकता हो तब संसद सदस्यों, विधायकों और जनता के अन्य प्रतिनिधियों के साथ गैर सरकारी संस्था को विशेष राज्यों में उर्वरक गुणवत्ता जाँच केन्द्रों की एकदम सही स्थिति के साथ–साथ उनकी सूची भी प्रदान की जाए। समिति आगे यह चाहती है कि विभागों द्वारा अपेक्षित उपायों को किया जाए ताकि भारतीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना किसानों द्वारा सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाए गए गंदे पानी की समस्या का संबोधन करें।	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र जारी करके यह सलाह दी है कि किसानों की अवमानक उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के तंत्र को सरल बनाएं। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि उर्वरक जाँच प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता की सूचना संसद सदस्यों, विधायकों और जनता के अन्य प्रतिनिधियों को उपलब्ध की जाए। समिति यह चाहती है कि उपाय किए जाएँ ताकि भारतीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना किसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए गंदे पानी की समस्या को समाधान कर सके। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि सिंचाई के जल का विषय संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है।

vuyXud&IV

(पैरा 3.5 में उल्लिखित)

jkT;&okj fo'yf"kr ueuk dh l[;k dk n'kkrh foojf.kdk

jkT;	,QD;l lh yc dh l[;k	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		Okkf"kd fo'y"k.k {kerk	okLrfod :i ls tkp fd;s x, ueuk dh l[;k	Okkf"kd fo'y"k.k {kerk	okLrfod :i ls tkp fd;s x, ueuk dh l[;k	Okkf"kd fo'y"k.k {kerk	okLrfod :i ls tkp fd;s x, ueuk dh l[;k	Okkf"kd fo'y"k.k {kerk	okLrfod :i ls tkp fd;s x, ueuk dh l[;k
असम	1	500	271	500	275	500	292	500	324
मिज़ोरम	1	250	5	250	0	250	1	250	1
झारखंड	1	3385	682	3385	838	4165	824	1500	723
बिहार	1	2000	1748	2000	1738	2000	1719	2000	2080
ओडीसा	3	3500	2396	3500	2196	3500	2217	10000	3398
पश्चिम बंगाल	3	4500	2064	4500	2079	4500	2971	4500	2387
गुजरात	3	7500	5977	7500	9060	7500	9990	7500	14623
मध्य प्रदेश	4	5200	4560	5200	4853	6500	5497	7270	6671
छत्तीसगढ़	1	2500	2098	2500	2018	2500	2150	2500	2171
महाराष्ट्र	5	13630	14989	16000	16403	18000	16939	18000	17422
राजस्थान	4	8000	14336	8000	15820	10000	15586	8000	14051
हरियाणा	3	5100	4089	5100	4561	5100	4277	5100	3901
हिमाचल प्रदेश	3	2000	1866	2000	1707	2000	1770	2000	1673
जम्मू व कश्मीर	2	1400	1395	1450	1895	1450	1980	1450	2127

पंजाब	3	3000	3123	3000	3018	3000	3629	3600	3576
उत्तर प्रदेश	5	10000	9205	10000	11345	10000	10227	16500	10848
उत्तराखंड	2	700	200	800	183	700	215	700	261
आंध्र प्रदेश	5	15000	14935	15000	15419	15000	15284	15000	15238
कर्नाटक	7	10065	5948	10065	6229	15000	9642	15000	10423
केरल	2	3000	2574	3000	2542	4000	2262	4000	2463
पोंडिचेरी	1	700	627	700	484	700	627	700	467
तमिलनाडु	14	17500	18011	17500	17398	17756	16540	17900	17899
भारत सरकार	4	8500	10769	8500	11909	8500	9233	8500	6234
dy	78	127930	121868	130450	131970	142621	133872	152470	138961

vuyXud&V

(पैरा 4.1 में उल्लिखित)

Mh,ih ¼ik"kd rRo ^ih*½ ds fy, cpekdZ dher ds foyfcr fu/kkZj.k ds dkj.k jkt lgk;rk dh vfrfjDr ykxr dk n'kkZrh foojf.kdk

Øe la[;k	moZjd	2011&12 esa foØ; dh xbZ ek=k ¼,eVh esa½	QkLQsV* ¼ih½ dh ek=k ¼,eVh esa½
1	**2**	**3**	**4**
1.	Mh,ih (18-46-0-0)	9634024.82	4431651.41
2.	Mh,ih ykbV (16-44-0-0)	1129456.75	496960.97
3.	,e,ih (11-52-00)	112995.45	58757.63
4.	Vh,lih (0-46-0-0)	84479.45	38860.55
5.	,l,lih	4814287.60	770286.01
,uihds lsg			
6.	16-20-0-13	314392.10	62878.42
7.	20-20-0-13	2931482.97	586296.60
8.	20-20-0-0	2710128.25	542025.65
9.	24-24-0-0	176203.10	42288.74
10.	28-28-0-0	283646.70	79421.08
11.	10-26-26-0	1711250.10	444925.03
12.	12-32-16-0	1252722.30	400871.14
13.	14-28-14-0	241542.20	67631.82
14.	14-35-14-0	321090.50	112381.68
15.	15-15-15-0	410969.70	61645.46
16.	15-15-15-0.2	30262.90	4539.43
17.	15-15-15-09	69829.55	10474.43
18.	16-16-16-0	46152.80	7384. 45
19.	17-17-17-0	5422.00	921.74
20.	19-19-19-0	12101.55	2299.30
			8222505.54

2011&12 ds nkSjku ih,.Mds moZjdksa esa ^ih* dh ek=k ¼,eVh esa½		8222505.54
ih,eVh ;w,l$ 612 ih,eVh dh cspekdZ dher ij ebZ 2011 esa fu/kkZfjr dh xbZ njksa ij vk/kkfjr ^ih* ds fy, jkt lgk;rk ¼₹ ih,eVh esa½	32338	
^ih* ds fy, jkt lgk;rk ;fn ;w,l$ 500 dh cspekdZ dher ij uoEcj 2010 esa	25582**	

nj fu/kkfjr dh xbZ gkrhA ¼₹ ih,eVh e½		
foHkknh; jkt lgk;rk ¼₹ e½	6756	
ifjgk;l jktgk;rk	मात्रा X 6756	₹5555.12 करोड़

* फॉस्फेट की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित फॉस्फेट की प्रतिशतता पर आधारित है।

**₹46.06 की विनिमय दर, 5.15 प्रतिशत की दर पर सीमा शुल्क, 1.03 प्रतिशत की दर पर 105 दिनों के लिए लंदन इंटरबैंक द्वारा प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) का ऋण, ₹729 पीएमटी का प्रबंधन शुल्क, 275 पीएमटी विक्रेता का मार्जिन, ₹50 पीएमटी पूंजी पर वापसी और ₹9950 पीएमटी पर डीएपी की एमआरपी के आधार पर राजसहायता की गणना की गई।

vuqyXud& VI

(पैरा 4.5 में उल्लिखित)

^vkjfHkd ekfl d vkifrZ ;kstuk* vkSj ^fu;fer ekfl d vkifrZ ;kstuk* esa n'kkZ;h xbZ mojd vkifrZ;ksa dh ek=k esa vUrj

¼,eVh esa ek=k½

dEiuh dk uke	Ekkg	mRikn dk uke	jkT; dk uke	Mhvk,Q ds vuqlkj ;kstuk	fu;fer dh xbZ ek=k	fu;fer dh xbZ vfrfjDr ek=k	vfrfjDr vkifrZ ds fy, dkj.k
nhid mojd	जून–12	एनपीके	महाराष्ट्र	2000	10900	8900	एनपीके के उत्पादन में वृद्वि
	जून–12	एनपीके	कर्नाटक	0	800	800	एनपीके के उत्पादन में वृद्वि
	जून–12	एनपीके	गुजरात	0	800	800	एनपीके के उत्पादन में वृद्वि
	जून–12	एनपीके	मध्य प्रदेश	0	500	500	एनपीके के उत्पादन में वृद्वि
jk"Vªh; jlk;u vkSj mojd	जून–12	आयातित एमओपी	महाराष्ट्र	0	5400	5400	दिए नहीं गए
	जून–12	आयातित एमओपी	आंध्र प्रदेश	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जून–12	आयातित एमओपी	कर्नाटक	0	8100	8100	दिए नहीं गए
	जून–12	आयातित एमओपी	तमिलनाडु	0	5400	5400	दिए नहीं गए
	जून–12	आयातित एमओपी	बिहार	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जून–12	आयातित एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2700	2700	दिए नहीं गए
dkjkseaMy vUrjk"Vªh; fyfeVsM	जून–12	स्वदेशी डीएपी	आंध्र प्रदेश	0	5000	5000	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	स्वदेशी डीएपी	कर्नाटक	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	स्वदेशी डीएपी	महाराष्ट्र	0	5000	5000	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	स्वदेशी एनपीके	महाराष्ट्र	0	10000	10000	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	स्वदेशी एनपीके	मध्य प्रदेश	0	5000	5000	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	स्वदेशी एनपीके	आंध्र प्रदेश	55000	65800	10800	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	आयातित एमओपी	आंध्र प्रदेश	0	3500	3500	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	आयातित एमओपी	तमिलनाडु	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	आयातित एमओपी	कर्नाटक	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
	जून–12	आयातित एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2500	2500	उत्पादन में वृद्धि
pacy mojd ,oa jlk;u fy-	जनवरी–13	आयातित एमओपी	गुजरात	0	486	486	बंदरगाह पर शेष रह गया स्टॉक
	जनवरी–13	आयातित डीएपी	छत्तीसगढ़	0	2716.35	2716.35	मार्कफेड की माँग को पूर्ण करने के लिए
	जनवरी–13	आयातित डीएपी	आँध्र प्रदेश	0	311.95	311.95	बंदरगाह पर स्टॉक को हटाने के लिए
	जनवरी–13	आयातित डीएपी	राजस्थान	8000	13259.55	5259.55	राजस्थान को माल भेजा गया क्योंकि वही अन्य राज्य के लिए अनुमत नहीं था।
	जनवरी–13	आयातित डीएपी	गुजरात	1000	7520	6520	दिशापरक प्रतिबंध के कारण माल भेजा गया। रेल द्वारा माल को ले जाया गया।

VkVk jlk;u fy-	जनवरी–13	स्वदेशी डीएपी	बिहार	0	10982.20	10982.20	उपलब्ध नहीं
	जनवरी–13	स्वदेशी एनपीके	बिहार	0	669.90	669.90	608 एमटी की प्राप्ति गत माह के पारगमन के विरूद्ध है और 62 एमटी एनपीके फैक्ट्री का बचा हुआ स्टॉक है।
,e ,l xhu LVkj	जनवरी–13	आयातित डीएपी	मध्य प्रदेश	0	2646.60	2646.60	मूल योजना को प्रस्तुत नहीं किया गया।
ikjknhi QkLQsV fyfeVsM	जनवरी–13	स्वदेशी डीएपी	छत्तीसगढ़	2600	4019.40	1419.40	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी–13	स्वदेशी डीएपी	झारखंड	0	1046.80	1046.80	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी–13	स्वदेशी डीएपी	महाराष्ट्र	1200	2670.80	1470.80	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी–13	स्वदेशी एनपीके	आँध्र प्रदेश	21800	33228.70	11428.70	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी–13	स्वदेशी एनपीके	झारखंड	0	655	655	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी–13	स्वदेशी एनपीके	महाराष्ट्र	4000	8197.80	4197.80	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी–13	आयातित डीएपी लाइट	छत्तीसगढ़	0	2728.55	2728.55	अवशिष्ट स्टॉक की आपूर्ति की गई
	जनवरी–13	आयातित डीएपी लाइट	उत्तर प्रदेश	2600	7718.85	5118.85	-वही-
	जनवरी–13	आयातित एमओपी	असम	0	2657.70	2657.70	उपलब्ध नहीं
bafM;u iksVk'k fy-	अगस्त–11	एमओपी	आँध्र प्रदेश	0	500	500	डीओएफ से निर्देश प्राप्त होने के कारण आपूर्ति/राज्य सरकार/संघ द्वारा आवश्यकता
	अगस्त–11	एमओपी	गुजरात	0	8000	8000	-वही-
	अगस्त–11	एमओपी	राजस्थान	0	1500	1500	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी	हरियाणा	15000	19000	4000	डीओएफ से निर्देश/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता
	अगस्त–11	डीएपी	गुजरात	0	4000	4000	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी	जम्मू एवं कश्मीर	0	4000	4000	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी .	केरल	0	2700	2700	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी	उड़ीसा	0	500	500	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी	पंजाब	50000	65000	15000	-वही-
	अगस्त–11	एमएपी	गुजरात	0	4000	4000	-वही-
	अगस्त–11	एमएपी	महाराष्ट्र	0	4000	4000	-वही-

	अगस्त–11	एमएपी	पंजाब	0	3500	3500	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी लाईट	बिहार	0	3000	3000	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी लाईट	झारखंड	0	3000	3000	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी लाईट	मध्य प्रदेश	0	3000	3000	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी लाईट	छत्तीसगढ़	0	8000	8000	-वही-
	अगस्त–11	डीएपी लाईट	आंध्र प्रदेश	0	12000	12000	-वही-
Jh jke mojd ,o jlk;u	जुलाई–12	आयातित डीएपी	राजस्थान	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई–12	आयातित डीएपी	पंजाब	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई–12	आयातित डीएपी	हरियाणा	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई–12	आयातित डीएपी	मध्य प्रदेश	0	5400	5400	दिए नहीं गए
	जुलाई–12	आयातित डीएपी	गुजरात	0	1500	1500	दिए नहीं गए
	जुलाई–12	आयातित डीएपी	महाराष्ट्र	0	2700	2700	दिए नहीं गए
	जुलाई–12	आयातित डीएपी	उत्तरांचल	0	5100	5100	दिए नहीं गए
VkVk jlk;u fy-	जुलाई–12	आयातित डीएपी	बिहार	0	13250	13250	31198 एमटी का आयातित डीएपी का एक जलयान 16.07.2012 को पहुँचा।
	जुलाई–12	आयातित डीएपी	झारखंड	0	2650	2650	-वही-
	जुलाई 2012	आयातित डीएपी	पश्चिम बंगाल	0	10600	10600	-वही-
bfM;u ikVk'k fy-	मई–12	एमओपी	आँध्र प्रदेश	20000	32000	12000	राज्य सरकार की आवश्यकता
	मई–12	डीएपी	जम्मू व कश्मीर	0	2700	2700	-वही-
	मई–12	डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	2700	2700	-वही-
VkVk jlk;u fy-	अप्रैल–12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	12000	12000	60000 एमटी की आवश्यकता की अपेक्षा 106600 एमटी को आयोजित/विनिहित किया गया
dkjkseMy bVju'kuy fyfeVM	अप्रैल–12	एमओपी	कर्नाटक	0	2500	2500	09.04.2012 को काकीनाड़ा बंदरगाह पर 6200 टन का एमओपी स्टॉक उपलब्ध था
	अप्रैल–12	एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2500	2500	-वही-
	अप्रैल–12	एमओपी	आँध्र प्रदेश	0	1200	1200	-वही-
xzhu LVkj mojd fy-	अप्रैल–12	आयातित डीएपी	पंजाब	जारी नहीं किये गये	3900	3900	37000 एमटी के डीएपी जलयान को 21.04.2012 को आने से वर्जित कर दिया गया।
ukxktqu mojd ,o jlk;u	सितंबर–12	आयातित एमओपी	आँध्र प्रदेश	0	15716.30	15716.30	अगस्त 2012 के प्रेषित और शेष स्टॉक को सितंबर 2012 में लिया गया ।
	सितंबर–12	आयातित एमओपी	कनार्टक	0	3805.80	3805.80	-वही-

	सितंबर–12	आयातित एमओपी	उड़ीसा	0	3767	3767	-वही-
	सितंबर–12	आयातित एमओपी	पश्चिम बंगाल	0	2514	2514	-वही-
tqvkjh gkfFMx fy-	सितंबर–12	स्वदेशी डीएपी	आँध्र प्रदेश	0	743	743	अगस्त 2012 के समाप्त होने पर रेक पॉइन्ट पर बचा हुआ स्टॉक
	सितंबर–12	स्वदेशी डीएपी	कनार्टक	0	355	355	-वही-
	सितंबर–12	स्वदेशी डीएपी	तमिलनाडु	0	630	630	-वही-
	सितंबर–12	स्वदेशी डीएपी	केरल	0	590	590	-वही-
VkVk jlk;u fy-	अक्टूबर–12	स्वदेशी डीएपी	बिहार	0	481.45	481.45	प्राप्ति सिंतबर 2012 की आपूर्ति योजना के विरूद्ध थी
	अक्टूबर–12	स्वदेशी डीएपी	झारखण्ड	0	1004.15	1004.15	-वही-
VkVk jlk;u fy-	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी	बिहार	0	13225.65	13225.65	सिंतबर 2012 की आपूर्ति योजना के विरूद्ध आपूर्ति की गई
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी	पश्चिम बंगाल	0	5383.50	5383.50	-वही-
	अक्टूबर–12	स्वदेशी एनपीके	झारखण्ड	2650	3595.15	945.15	रेक मात्रा को बनाए रखने के लिए
	अक्टूबर–12	स्वदेशी एनपीके	असम	500	1262.20	762.20	-वही-
	अक्टूबर–12	आयातित एमओपी	असम	0	2572.20	2572.20	सिंतबर 2012 की आपूर्ति योजना के विरूद्ध आपूर्ति की गई
pcy moZjd ,oa jlk;u fy-	अक्टूबर–12	आयातित एमओपी	मध्य प्रदेश	0	202.95	202.95	आपूर्ति कुछ हद तक डीएपी के सहित एकत्रित थी
	अक्टूबर–12	आयातित एमओपी	जम्मू व कश्मीर	0	252.40	252.40	-वही-
	अक्टूबर–12	आयातित एमओपी	उत्तरांचल	0	117.50	117.50	-वही-
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी	जम्मू व कश्मीर	4000	7042.05	3042.05	राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता
bMkxYQ moZjd	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	13181	13181	दिए नहीं गए
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी	बिहार	0	10874.80	10874.80	दिए नहीं गए
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी	पश्चिम बंगाल	0	8621.80	8621.80	दिए नहीं गए
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी	झारखंड	0	2138.40	2138.40	दिए नहीं गए
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी लाइट	उत्तर प्रदेश	0	36485.60	36485.60	दिए नहीं गए
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी लाइट	बिहार	0	9707.60	9707.60	दिए नहीं गए
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी लाइट	पश्चिम बंगाल	0	3929.60	3929.60	दिए नहीं गए
	अक्टूबर–12	आयातित डीएपी लाइट	झारखंड	0	517.40	517.40	दिए नहीं गए
pcy moZjd ,oa jlk;u fy-	दिसंबर–12	आयातित एमओपी	जम्मू व कश्मीर	0	562.05	562.05	आपूर्ति कुछ हद तक डीएपी के सहित एकत्रित थी
	दिसंबर–12	आयातित एमओपी	महाराष्ट्र	0	316.25	316.25	नवंबर 2012 के पारगमन रेक की प्राप्ति
	दिसंबर–12	आयातित डीएपी	मध्य प्रदेश	15000	18016.75	3016.75	दिसंबर 2012 में नवंबर के पारगमन रेक की प्राप्ति हुई

	दिसंबर–12	आयातित डीएपी	महाराष्ट्र	0	1567.20	1567.20	--वही-
bQdks	दिसंबर–12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	छत्तीसगढ़	0	2727	2727	सदस्य सहकारी समितियों से माँग, एचएल रेक मात्रा और पारगमन में स्टॉक की उपलब्धता
	दिसंबर–12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	हिमाचल प्रदेश	0	2665	2665	डीओएफ से प्राप्त निर्देश
	दिसंबर–12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	पश्चिम बंगाल	8000	15731	7731	सदस्य सहकारी समितियों से माँग, एचएल रेक मात्रा और पारगमन में स्टॉक की उपलब्धता
	दिसंबर–12	स्वदेशी मिश्रित (एनपीके)	तमिलनाडु	0	5294	5294	डीओएफ से प्राप्त निर्देश
	दिसंबर–12	स्वदेशी डीएपी	हरियाणा	11000	24370	13370	सहकारी समिति के लिए माँग
	दिसंबर–12	स्वदेशी डीएपी	राजस्थान	14000	20320	6320	-वही-
	दिसंबर–12	स्वदेशी डीएपी	तमिलनाडु	0	2567	2567	-वही-
VkVk jlk;u fy-	दिसंबर–12	स्वदशी एनपीके	बिहार	2100	6545.25	4445.25	उर्वरकों के अतिरिक्त उत्पादन के कारण
	दिसंबर–12	स्वदशी एनपीके	पश्चिम बंगाल	11340	20406.20	9066.20	-वही-
,xhxkYM vkxsZfud ikboV fy-	नवंबर–12	एनपीक	आँध्र प्रदेश	0	3400	3400	नवंबर 2012 माह में आपूर्ति योजना देर से प्राप्त हुई थी।
	नवंबर–12	एनपीक	कर्नाटक	0	3500	3500	-वही-
	नवंबर–12	एनपीक	तमिलनाडु	0	9000	9000	-वही-
	नवंबर–12	आयातित डीएपी	तमिलनाडु	0	1000	1000	-वही-
	नवंबर–12	आयातित डीएपी	झारखण्ड	0	1000	1000	-वही-
	नवंबर–12	आयातित डीएपी	बिहार	0	6000	6000	-वही-
	नवंबर–12	आयातित डीएपी	छत्तीसगढ़	0	1100	1100	-वही-
	नवंबर–12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	0	7500	7500	-वही-
,pih,e jlk;u ,oa moZjd fy-	नवंबर–12	आयातित डीएपी	उत्तर प्रदेश	-शून्य-	15000	15000	अक्टूबर 2012 माह के दौरान नौ परिवहन में विलंब के कारण
	नवंबर–12	आयातित डीएपी	पंजाब	-शून्य-	15000	15000	-वही-
	नवंबर–12	आयातित डीएपी	हरियाणा	-शून्य-	5000	5000	-वही-